Lanco Amarkantak Power Limited

PUBLIC NOTICE

M/s Lanco Amarkantak Power Limited ("LAPL"), a generating Company as defined in the Electricity Act, 2003 has been supplying five percent (5%) of net generated power (at variable cost) to CSPDCL from its 300 MW (Unit 2) coal based Thermal Power Station in Village Pathadi, District, Korba, Chhattisgarh. In compliance to the provisions of the Electricity Act, 2003 Section 62, 86 and CSERC (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations, 2021. This petition is registered as Petition No. 98/2023.

The Petitioner has been paid flat provisional rate of Rs. 1.86/kWh (for FY 2022-23) by CSPDCL against the monthly bills raised by it to CSPDCL. The month wise Energy Charge Rate (Variable Charges) as claimed by the Petitioner have been computed based on the normative/actual parameters of Gross Station Heat Rate, Auxiliary Energy Consumption and Specific fuel oil consumption duly considering the actual Weighted average landed price of primary fuel, actual Gross Calorific Value of primary fuel as received, Calorific Value of secondary fuel and actual Weighted average landed price of secondary fuel as per applicable CSERC Tariff Regulations. According, the computed weighted average energy charges for FY 2022-23 have been Rs. 2.037/kWh.

In addition, the Petitioner has also claimed water charges, reimbursement of electricity duty, WRLDC Fees and Charges incurred by the Petitioner corresponding to the 5% power supplied to CSPDCL.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in and/ or with a copy to Mr. Anil Sharma, Executive Director, (Commercial & Regulatory), Lanco Amarkantak Power Ltd, 4th Floor, Plot No. 334, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon, Haryana, PIN –122016, email id – anil.sh@lancogroup.com, within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 250/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत परिभाषित, मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड (एलएपीएल) जो कि कोयला आधारित यूनिट–2 (300 मेगावॉट) ग्राम पताड़ी, जिला–कोरबा में स्थित विद्युत उत्पादक कंपनी है जो इस संयंत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दिनांक 17.04.2016 से सकल विद्युत उत्पादन का 5% विद्युत एनर्जी चार्ज रेट पर आपूर्ति कर रही है। इस संबंध में एलएपीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के टैरिफ निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–62 सहपठित धारा–86 एवं आयोग के विनियम ''नियम और शर्तें टैरिफ और शुल्क एवं शुल्क से अपेक्षिम राजस्व के निर्धारण के लिए मल्टी–ईयर टैरिफ सिद्धान्तों और कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के अनुसार टैरिफ का निर्धारण अधिनियम–2021'' के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे याचिका क्रमांक 98/2023 के रूप में पंजीकृत की गई है।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक चालान दर के विरूद्ध सीएसपीडीसीएल द्वारा रू.1.86/kWh (वित्त वर्ष 2022–23) की एक समान दर से भुगतान किया गया है। उपरोक्त विद्युत आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता ने साथ में अपनी याचिका में ऊर्जा/परिवर्तनीय शुल्क की दरों की गणना आयोग के मानकों जो कि ग्रास स्टेशन हीट रेट, ग्रास कैलोरिफिक वैल्यु (दोनों प्राथमिक ईंधन एवं द्वितीय ईंधन की) को मानते हुए सीएसईआरसी टैरिफ रेगुलेशन के अनुसार किया गया है। उपरोक्तानुसार वित्त वर्ष 2022–23 में ऊर्जा परिवर्तनीय शुल्क भारित औसतन दर रू.2.037/kWh आंकलन किया गया है।

इसके आलावा, याचिकाकर्ता द्वारा सीएसपीडीसीएल को आपूर्ति की जाने वाली 5 प्रतिशत बिजली के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए जल शुल्क, बिजली शुल्क, WRLDC शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी दावा किया है।

इस संदर्भ में इच्छुक व्यक्ति आपत्तियों/सुझावों को सचिव, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर–492001 ई–मेल cserc.sec.cg@nic.in एवं/या कार्यकारी निदेशक, (वाणिज्यिक और ईंधन प्रबंधन) मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, चौथी मंजिल, प्लाट नं.–334, उद्योग विहार चरण–4, गुरूग्राम, हरियाणा, पिन–122015, ई–मेल anil.sh@lancogroup.com पर इस नोटिस के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर भेज सकते हैं।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 250/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना, आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक और ईंधन प्रबंधन),
मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड,
गुरूग्राम, हरियाणा